

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

Fax/Mail

पत्र संख्या-03/कृ०बजट-आवंटन-38/2014-115(आवंटन)/कृ०, पटना, दिनांक 30-09-2014
प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : कृषि विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड पटना को लेखा
अद्यतन कराने हेतु वित्तीय वर्ष, 2014-15 में कुल ₹44,03,000 (चौवालीस लाख तीन हजार
रु० मात्र) की राशि की स्वीकृति के फलस्वरूप राशि का आवंटन।

महाशय :

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-4316, दिनांक-16.09.2014 द्वारा कृषि विभाग के अधीन बिहार
राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि०, पटना को लेखा अद्यतन कराने हेतु वित्तीय वर्ष, 2014-15 में कुल
₹44,03,000 (चौवालीस लाख तीन हजार रु० मात्र) की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत कुल राशि मो०
₹44,03,000 (चौवालीस लाख तीन हजार रु० मात्र) व्यय हेतु आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹44,03,000 (चौवालीस लाख तीन हजार रु० मात्र) का व्यय मुख्य
शीर्ष-6401-फसल कृषि कर्म के लिये कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-00-आयोजना भिन्न-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र
के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-उप शीर्ष-0002-बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को ऋण-मांग
सं०-01-विपत्र कोड-N6401001900002 के अन्तर्गत प्राथमिक इकाई-5501-ऋण एवं अग्रिम मद में वित्तीय वर्ष
2014-15 के प्रथम अनुपूरक आगणन से उपबंधित ₹44,03,000 (चौवालीस लाख तीन हजार रु० मात्र) से
विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही
है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय
किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से
उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाज्य

(रामजी सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-

115(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 30-09-2014

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-

115(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 30-09-2014

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-

115 (मार्च)

/कृ०, पटना, दिनांक 30-03-2014

प्रतिलिपि-मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि०, पटना/मुख्य लेखा पदा०, कृषि विभाग बिहार, पटना/सहायक सांख्यिकीज्ञ, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी लेखा शाखा/समन्वय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित।

नाम

15/306/11

सरकार के संयुक्त सचिव।